

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-ई-20/कोटा जोन/जीएनएम प्रशि./ 23598/2024/

दिनांक :-

आदेश

निम्नांकित नर्सिंग कार्मिकों को जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी प्रशिक्षण कोर्स हेतु चयन नर्सिंग कॉलेज आवंटन होने पर इस आदेश में वर्णित शर्तों की पालना के आधार पर संबंधित नियंत्रण अधिकारियों को उनके अधीनस्त पदस्थापित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को जीएनएम प्रशिक्षण अनुमति प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	कार्मिका का नाम	पाठ्यक्रम सत्र	आवंटन केटेगरी	पदस्थापन स्थान
01.	सुनिता प्रजापति	2023-24	ओबीसी इन सर्विस-गर्ल्स	उप केन्द्र बनेट, खण्ड मनोहरथाना, झालावाड।

शर्त:-

- उक्त प्रशिक्षण हेतु कार्मिका की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद स्थाईकरण हो गया हो नियमित नियुक्ति पश्चात न्यूनतम 05 वर्ष की राजकीय सेवा होना आवश्यक है।
- उक्त प्रशिक्षण में चयन होने पर नियमानुसार कार्यमुक्त होकर प्रशिक्षण में प्रवेश लेना होगा।
- उक्त प्रशिक्षण हेतु नियमानुसार अवकाश देय होगा।
- प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षण के लिये प्रतिनियुक्ति की मांग नहीं करेगी।
- प्रशिक्षण पूर्ण होने पर नियमानुसार पदोन्नति का लाभ देय होगा, कार्मिका द्वारा किसी प्रकार की मांग नहीं की जावेगी।
- प्रशिक्षण पूर्ण होने पर अपनी उपस्थिति निदेशालय में प्रस्तुत करेगी।
- प्रशिक्षण अवधि में किसी प्रकार का नियोजन इत्यादि स्वीकार नहीं करेगी।
- राजस्थान सेवा नियमों में उल्लेखित प्रावधानों की पूर्ण पालना की जावेगी।
- कार्मिका का चयन विभागीय कोटे (Inservice) में नहीं हुआ है उन्हे नियमानुसार अध्ययन अवकाश देय नहीं होगा।
- श्रीमान शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-2) विभाग जयपुर के परिपत्र दिनांक 05.07.2022, आदेश क्रमांक दिनांक 22.12.2022 एवं निदेशालय क आदेश क्रमांक 133 दिनांक 09.09.2022 में उल्लेखित शर्तों की पालना की जायेगी।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

दिनांक :- 14/05/2024

क्रमांक:-ई-20/कोटा जोन/जीएनएम प्रशि./ 23598/2024/559

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन कोटा।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड।
- सम्बन्धित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी झालावाड।
- संबंधित कार्मिकों को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
- आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref
6950056

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation : Director
Date :14-05-2024 09:58:25